(20)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस.

पेश-

राजस्व वाद संख्या : 40 / 2015, (62 / 2015) (90 / 2015)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04 / 2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भूण्डाराम		नारायणराम व [illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी.

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी, एडवोकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी, एडवोकेट।

::निर्णय :: [illegible] 26/8/19

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम [illegible] तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 810 रकबा 16 बीघा के लिए बंटवारा [illegible] निषेधाज्ञा का राजस्व वाद संख्या 40 / 2015 पेश किया, जिसमें प्रतिवादी नारायणराम [illegible] द्वारा जवाबदावा पेश किया, जवाबदावा के साथ काउण्टर वाद पेश किया जो काउण्टर वाद [illegible] का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 810 रकबा 16 बीघा में चालू नलकूप खुदा हुआ है जिसमें [illegible] का 1/4 हिस्सा घोषित कर नलकूप के हिस्से में अलग से प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज [illegible] तथा नलकूप तक जाने के लिए रास्ता रखा जावे एवं तीन दिन तक [illegible] आदेश फरमाया जावे। इसी तरह वादी मोहनलाल ने प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या [illegible] इस आधार का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 482 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा की पश्चिमी दिशा [illegible] वादी मोहनलाल के तथा पूर्वी दिशा की भूमि खसरा नम्बर 482 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा की पूर्वी [illegible] भूमि प्रतिवादी भूण्डाराम के हिस्से में रखी जावे। इसी हिस्से अनुसार मौके पर कई वर्षो से [illegible] जिसका बंटवाडा किया जाकर हिस्सा अलग अलग किया जावे। मौका कमीश्नर ने वादी भूण्डाराम [illegible] मिलकर मौके की सही स्थिति रिपोर्ट में दर्ज नही की है। मौका कमीश्नर ने प्रतिवादीगण [illegible] कायम मुकाम व मोहनलाल को मौका देखने की कोई सूचना नही दी। मौका किसके सामने [illegible] कौन कौन पक्षकार उपस्थित थे, किस पक्षकार ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे किस मौतबीर [illegible] के सामने मौका देखा गया था, किस पक्षकार ने हस्ताक्षर करने से मना किये किस मौतबीर [illegible] फर्द मौका पर हस्ताक्षर करवाये गये। ये सारे तथ्य मौका कमीश्नर द्वारा [illegible] गया है। अतः हल्का पटवारी ने वादी भूण्डाराम से मिलकर जानबुझकर गलत रिपोर्ट को लिखा [illegible] तो केवल इसी आधार पर कमीश्नर रिपोर्ट निरस्त किये जाने योग्य है। मौका कमीश्नर ने अपनी [illegible]

26/8/19
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

लगातार... पेज-2

सरा नम्बर 810 रकबा 16 बीघा मे खुदे चालू नलकूप तक वादी एवं प्रतिवादीगण के [illegible] ाने वाला रास्ता को लालस्याही से डोटेड लाईन से दर्शाया नही है न ही [illegible] का नक्शा में [illegible] थान पर दर्शाया है, जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद संख्या 90/2015 में [illegible] ूण्डाराम से स्पष्ट रूप से अनुतोष चाहा गया कि खसरा नम्बर 810 रकबा 16 बीघा में एक चालू [illegible] बुदा हुआ है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि में स्थित है। जो उक्त चालू [illegible] हेस्सा घोषित किया जाकर नलकूप के हिस्से में अलग से खातेदारी में दर्ज की जावे तथा चालू [illegible] तक रास्ता रखा जावे। फिर भी मौका कमीश्नर रिपोर्ट मे मात्र प्रतिवादी के हिस्से तक ही रास्ता [illegible] उसके आगे नलकूप तक जाने के लिए कोई रास्ता नही रखा गया है, जो मौका रिपोर्ट इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। मौका कमीश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य भी गलत लिखा है कि [illegible] नम्बर 482 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा की पश्चिमी दिशा की भूमि वादी भूण्डाराम के हिस्से [illegible] रिपोर्ट में दर्शाये गये पश्चिम दिशा की ओर की भूमि अधिक उपजाऊ व कीमती है, कमीश्नर ने [illegible] दिये गये नियम 18 से 21 की पालना नही कर मात्र वादी भूण्डाराम को अधिक से अधिक फायदा [illegible] हेतु उसके पक्ष में रिपोर्ट को बनाया है। राजस्व वाद संख्या 90/2015 में प्रतिवादी भूण्डाराम द्वारा [illegible] जवाबदावा पेश नही किया था, जबकि राजस्व वाद संख्या 40/2015 में प्रतिवादी नारायणराम के [illegible] मुकाम द्वारा जवाबदावा पेश किया गया और जवाबदावा के साथ काउण्टर वाद पेश किया जो [illegible] वाद इस आधार का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 810 रकबा 16 बीघा में चालू नलकूप मे प्रतिवादी नारायणराम के कायम मुकाम का 1/4 हिस्सा रखा जावे तथा चालू नलकूप तक जाने के लिए [illegible] रखा जावे तथा उसका सिचाई का उपयोग व उपभोग करने दिया जावे। उपरोक्त राजस्व वाद संख्या 90/2015 तथा राजस्व वाद संख्या 40/2015 को कैम्प कोर्ट मे रखकर एकतरफा मौका रिपोर्ट [illegible] निर्णित कर दिया गया। जबकि राजस्व वाद संख्या 90/2015 व राजस्व वाद संख्या 40/2015 में नारायणराम के कायम मुकाम का घोषणा का अनुतोष विचाराधीन था, जो अनुतोष मात्र साक्ष्य से ही निर्णित किया जा सकता था, इस कारण मौका कमीश्नर रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः संशोधित [illegible] पारित किया जाना आवश्यक है। कमीश्नर की एकतरफा रिपोर्ट का कोई महत्व नही है तथा न ही इस प्रकार की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जा सकता है। कमीश्नर की एकतरफा गलत रिपोर्ट को रेकर्ड पर लेना न केवल विधि विरूद्ध है बल्कि न्यायोचित भी नही है क्योकि कब्जे की जॉच न्यायालय की शहादत के द्वारा ही की जायेगी। एकतरफा कमीश्नर की रिपोर्ट साक्ष्य में भी ग्राहय नही है। मौजूदा प्रकरण में मौका कमीश्नर ने मौके की सही स्थिति को नही बताया है तथा वादी भूण्डाराम के कहे अनुसार एकतरफा गल्त रिपोर्ट बनाकर पेश की है, जो केवल इसी आधार पर निरस्त योग्य है। अभी दिनांक 18.10.2018 को प्रतिवादी पुखाराम हल्का पटवारी के पास गया और अपनी

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मे की गिरदावरी करने को कहा तो हल्का पटवारी ने जमाबन्दी देखकर प्रतिवादी पुरखाराम को ... आपकी भूमि का निर्णय हो गया है आपका हिस्सा अलग कर दिया गया है तो प्रतिवादी पुरखाराम ... सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने ... आपकी भूमि का बंटवाडा कमीश्नर द्वारा गलत कर दिया गया है आप कमीश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति ... करो, तब प्रतिवादी ने हल्का पटवारी से पुनः जमाबन्दी व नक्शा आदि की नकल को प्राप्त ... कमीश्नर रिपोर्ट पर आपति को पेश किया है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से जवाब पेश किया गया ... जवाब इस आधार का पेश किया गया कि वादी भूण्डाराम द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद संख्या 40/2015 तथा वादीगण मोहनलाल, मलाराम, श्रवणराम द्वारा प्रतिवादीगण भूण्डाराम व राजस्थान सरकार के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 90/2015 तथा वादीगण नारायणराम, मोहनलाल, मलाराम, श्रवणराम द्वारा प्रतिवादीगण भुण्डाराम व अन्य के विरूद्ध वाद संख्या 62/2015 खातेदारी घोषणा, बंटवाडा ... निषेधाज्ञा का राजस्व वाद ग्राम हरियाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 810 रकबा 16 बीघा के संबंध में पेश किये गये। तीनो वाद को न्यायालय द्वारा कन्सोलिडेट किया तथा तीनो का निर्णय दिनांक 01.06.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। उक्त निर्णय द्वारा तहसीलदार बिलाडा को उपरोक्त खसरान की ... का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 14.07.2017 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया तथा उपरोक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर दोनो पक्षकारान द्वारा किसी भी प्रकार की आपति नहीं करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की तथा उक्त अन्तिम डिक्री की पालना में उपरोक्त खसरान की भूमि के संबंध में म्यूटेशन संख्या 1853 व 1854 तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 14.12.2017 को स्वीकृत किया तथा उक्त म्यूटेशन के आधार पर उपरोक्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मुताबिक अंतिम डिक्री के अनुसार दोनो पक्षकारों के नाम उक्त भूमि की खातेदारी भी दर्ज की जा चुकी है। अन्त में प्रारम्भिक आपति पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी भुण्डाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी पुरखाराम व मलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी. व वादी भूण्डाराम द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपतियो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.06.2017 की पालना में तहसीलदार बिलाडा द्वारा वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 14.07.2017 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर दोनो पक्षकारान द्वारा किसी भी प्रकार की आपति नही करने पर मुताबिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

लगातार ---- पेज-4 पर

रीडर-5

जिसकी पालना में म्यूटेशन संख्या 1853 व 1854 भी तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 14.12.... स्वीकृत किया जा चुका है। इसलिए अब इस स्टेज पर बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपति कानूनन चलने योग्य नही है तथा धारा 151 व 152 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को निर्णय, डिक्री, आदेशों मे हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करने का अधिकार ... कि बंटवाडा प्रस्ताव को अपास्त करने का अधिकार है। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

26/8/19

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 26/8/2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सर इजलास सुनाया गया।

26/8/19

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा